

खाता III-128

- RTA

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 98/2018

दिनांक:- 11/05/2018

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्रीमति मौजी जी नगरी

जति मीठा उम्र वर्षा नि० नरगिया तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदाजत राजेवा दिनांक 11/05/2018 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले०२०१०६ के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा नरगिया पंचायत समिति दोवडा में स्थित खाता संख्या २२९ पर आराजी नं० ६३० कुल ०१ बीघा ०२ बिस्वा किता १ योग रकबा १ बीघा २ बिस्वा प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते हैं और लडाई झगडा करते हैं। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी का सी वर्मा नि० नरगिया ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम नरगिया की जमाबंदी सम्वत् १९७३-७६ की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है। खपरा नं० ६३१ संख्या ५ बिस्वा

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा नरगिया में स्थित खाता संख्या २२९ पर आराजी नं० ६३० रकबा १ बीघा २ बिस्वा कुल किता १ कुल रकबा १ बीघा २ बिस्वा की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा नरगिया में स्थित खाता संख्या २२९ पर आराजी नं० ६३० रकबा १ बीघा २ बिस्वा कुल किता १ कुल रकबा १ बीघा २ बिस्वा की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदा, डूंगरपुर भू०अ० निरीक्षक पुनाली के नेतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू० ६०० प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर